

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :-स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :-028/2023

1. गीता देवी पत्नी रामप्रताप जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामप्रताप पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजा राम पुत्र गोनाराम जाति विश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. करतार सिंह पुत्र जटुराम जाति वाजीगर निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:-

1. श्री श्योकत अली अधिवक्ता -- प्रार्थीगण
2. श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता -- अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 23.02.2024

प्रार्थीगण गीतादेवी आदि ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थीगण के नाम चक 8 एफ.टी. जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 खाता संख्या 29/25 पत्थर नम्बर 202/252(34) किला नम्बर 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15/1.265 हैक्टर पत्थर नम्बर 203/252(35) किला नम्बर 1/1, 1/2, 10, 11/0.759 हैक्टर, इस प्रकार कुल 2.024 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी सिलगन प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 8 एफ.टी.पी.-बी जमाबन्दी सम्वत 2075 2078 के खाता संख्या 34/40 पत्थर नम्बर 202/252(34) किला नम्बर 16, 17, 18, 19 तथा पत्थर नम्बर 203/252(35) किला नम्बर 12, 19, 20 कुल 1.771 हैक्टर भूमि




तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम चक 8 एफ.टी.पी.-बी जमाबन्दी सम्बत 2075 ता 2078 खाता संख्या 18/17 पत्थर नम्बर 202/252(35) किला नम्बर 23, 24 कुल 0.506 हेक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ई-साईन जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए वर्तमान में चल रहे मन्जूर शुदा रास्ता चक 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/253(41) किला नम्बर 3 ता 5 में से किला नम्बर 4 के चिपते अप्रार्थी संख्या 2 के किला नम्बर 24 अप्रार्थी संख्या 1 के किला नम्बर 17 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ होकर प्रवेश करते हैं। उक्त वैकल्पिक रास्ता से प्रार्थीगण अर्सा समय से आवागमन करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के नजदीक व सुविधाजनक है इसके अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चक 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में किला दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ 0.013 हेक्टर रास्ता प्रत्येक में स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे हैं तथा अपनी कृषि भूमि को काशत करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण द्वारा सहमति से वैकल्पिक रूप से उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि काशत करने के उपरान्त अप्रार्थीगण उक्त जगह पर फसल काशत कर लेते हैं तथा फसल उठाने के बाद पुनः प्रार्थीगण उक्त रास्ता में से आवागमन करते रहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मन्जूर करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने उक्त वैकल्पिक रास्ता को बंद कर खुर्द बुर्द बनाने तथा प्रस्तावित रास्ता की जगह निर्माण करने की धमकियां दे रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चक 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ 0.013 हेक्टर रास्ता प्रत्येक में स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है। उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपनी साथ चिपती भूमि अथवा डी.एल.सी. रेट अनुसार राशि देने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
पट्टेन सहायक फलेक्टर
दिल्ली




आज से करीब 5 दिवस पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 से उक्त रास्ता को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया तथा कहा कि प्रस्तावित रास्ता की जगह पर जबरदस्ती निर्माण न करे तो उक्त अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना-पत्र है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 17 व 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ 0.013 हैक्टर रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि चाहा गया रास्ता चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 17 व 24 में है परन्तु तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट के अनुसार केवल राजस्व रिकॉर्ड की सुगमता के परिपेक्ष्य से उक्त रास्ता किला नम्बर 16 व 25 में प्रस्तावित किया गया है, हालांकि किला नम्बर 17 व 24 में रास्ता दिये जाने में भी कोई बाधा नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता में किला नम्बर 25 का खातेदार जगाराम पुत्र जटूराम है जिसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यायहित में दिया जाना उचित है।



क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट का अवलोकन के बाद प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तेजाराम की भूमि चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 17 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर 0.013 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 2 करतार सिंह की कृषि भूमि चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के पत्थर नम्बर 202/252(34) के किला नम्बर 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन कर, रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि चक नम्बर 8 एफ.टी.पी.-बी के खाता संख्या 29/25 में किला नम्बर 14 में से रास्ते की भूमि छोड़कर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.025 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 तेजाराम के नाम व अप्रार्थी संख्या 1 तेजाराम की भूमि किला नम्बर 17 में से दक्षिण दिशा में रास्ते की भूमि छोड़कर पूर्व से पश्चिम 0.013 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 करतार सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी